न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 141/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 21.12.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. बद्रीबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी छीतरलाल जाति तेली निवासी मालोनी तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।

...अपीलाट्स

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत बिलेण्डी तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।
2. सरपंच ग्राम पंचायत मोखमपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा
4. राजेन्द्र कुमार आत्मज कान्हा जाति तेली निवासी ग्राम मालोनी तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।
5. शान्ती बेवा धन्नालाल जाति तेली निवासी ग्राम मालोनी तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।
6. मोहनलाल पुत्र धन्नालाल जाति तेली निवासी मालोनी हाल निवासी तेल फेक्ट्री रोड बांरा जिला बांरा।
7. सोहनीबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी बद्रीलाल जाति तेली निवासी तेल फेक्ट्री रोड बांरा जिला बांरा।
8. सीताबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी नेमीचन्द जाति तेली निवासी मेन मार्केट सांगोद जिला कोटा।
9. गीताबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी रामरतन जाति तेली निवासी ग्राम पनवाड तहसील कनवास जिला कोटा।
10. हरिशचन्द पुत्र नारायण जाति तेली निवासी ग्राम मालोनी तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।
11. छोटी पुत्री केसर पत्नी देवलाल जाति तेली निवासी मालोनी हाल निवासी ग्राम तारज तहसील खानपुर जिला झालावाड।
12. रामभरोस पुत्र हरिशचन्द जाति तेली निवासी ग्राम मालोनी तहसील छीपाबडौद जिला बांरा।
13. परियोजना अधिकारी (भूमि आवाप्ति अधिकारी परवन बृहद सिंचाई परियोजना) झालावाड जिला झालावाड।
14. शाखा प्रबन्धक एस0बी0वी0जे0 शाखा छीपाबडौद जिला बांरा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक रेस्पो0 कम–4,5,6,7,9,
श्री रमेश राठोर अभिभाषक रेस्पो0 कम–4,6,7,9,10,11,12,

:::निर्णय:::

दिनांक 11.4.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 5/2017 बउनवान ब्रदीबाई बनाम सरंपच ग्राम पंचायत बिलेण्डी तह0 छीपाबडौद वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 19.12.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने नामा0 सं0 293 ग्राम मालोनी तह0 छीपाबडौद से अप्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मालोनी की आराजी कुल किता 11 रकबा 112.14 बीघा रेस्पो0 कम 4 ता 12 के खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। पूर्व मे उक्त आराजी धन्नालाल वल्द बाला, कजोडी बेवा बाला हि0 1/2 शंकर, हरिशचन्द्र वल्द नाराण, कल्याणी, बिरधी, छोटी, बेटी शंकर कोम तेली हि0 1/2 से दर्ज थी। खातेदार धन्नालाल वल्द बाला, कजोडीबाई बेवा बाला का स्वर्गवास होने पर उनका फौती नामा0 सं0 293 ग्राम मालोनी रेस्पो0 कम 1 द्वारा रेस्पो0 4 ता 9 के पक्ष मे निर्णित किया गया। मृतक खातेदार धन्ना के दो पुत्र मोहनलाल, काना व चार पुत्री सोहनीबाई, सीताबाई, गीताबाई, व बद्रीबाई है लेकिन रेस्पो0 कम 1 द्वारा इन्तकाल सं0 293 निर्णित करते समय मृतक खातेदार धन्नालाल के वारिसान की सम्पूर्ण जांच नही कर केवल रेस्पो0 नं0 4 ता 9 के पक्ष मे निर्णित कर दिया जबकि अपीलांट ब्रदीबाई धन्नालाल की जीवित पुत्री एवं उनकी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत बिलेण्डी द्वारा मृतक खातेदार का फोती नामान्तरकण अपीलांट का नाम दर्ज नही करके कानूनी त्रुटि की है। नामान्तरकरण अपीलांट को सूचना दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक करने मे त्रुटि की उक्त नामा0 गैरकानूनी रूप से तस्दीक किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने उत्तराधिकार के संबध मे जांच किये बिना ही

भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं लेण्ड रेवेन्यू रूल्स के प्रावधानों के विपरीत नामा0 293 तस्दीक करने मे त्रुटि की है। ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार नही है इस आधार पर भी उक्त नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। नामा0 सं0 417 मे केवल कान्हा के पुत्र राजेन्द्र की वल्दियत दुरूस्त की गई है अन्य कोई शुद्धि नही की गई। मृतक खातेदार धन्ना की पुत्री होने से अपीलांट का धन्ना के खाते की भूमि मे हित निहित है धन्नालाल का फोती नामा0 293 से अपीलांट व्यथित पक्षकार है उक्त नामान्तरकरण यथावत कायम है इस कारण अपीलांट द्वारा फौती नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई है जो विधिसम्मत है। नामान्तरकरण सं0 293 मूल नामान्तरकरण है नामान्तरकरण सं0 417 केवल वल्दियत की शुद्धि का नामान्तरकरण है इस कारण अपीलांट द्वारा मूल फौती नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है जो कानूनन पोषणीय है। धन्नालाल के वारिसान के संबध मे नामा0 सं0 417 के जरिये कोई संशोधन नही किया गया है इस बिन्दू पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर नही कर त्रुटि की है। फोती नामान्तरकरण धन्नालाल के आधार पर राजस्व अभिलेखों मे त्रुटिपूर्ण इन्द्राज चले आ रहे है इसका फायदा उठाकर रेस्पो0 नं0 4 लगायत 9 परवन सिंचाई परियोजना के लिये भूमि आवाप्ति के मुआवजे की राशि प्राप्त करने को तत्पर है अतः उन्हे मुआवजे की राशि प्राप्त करने से जरिये स्थगन रोका जाना विधिसंगत है क्योंकि अपीलांट मृतक धन्नालाल की पुत्री एवं वारिस है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे निहित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निरस्त करने तथा धन्नालाल का फौती नामान्तरकरण सं0 293 दिनांक 20.6.98 ग्राम मालोनी निरस्त कर मृतक धन्नालाल का फोती नामा0 अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक करने की आज्ञा प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि विवादित आराजी किता 11 रकबा 112.14 बीघा रेस्पो0 कम 4 ता 12 के खातेदारी मे दर्ज जमाबंदी है। उक्त आराजी पूर्व मे धन्नालाल वल्द बाला, कजोडी बेवा बाला हि0 1/2 शंकर, हरिशचंद वल्द नारायण, कल्याणी, बिरधी, छोटी बेटी शंकर कौम तेली हि0 1/2 दर्ज थी खातेदार धन्नालाल वल्द बाला, कजोडीबाई बेवा बाला का स्वर्गवास होने पर उनका फोती नामा0 सं0 293 सरपंच ग्राम पंचायत बिलेण्डी द्वारा रेस्पो0 4 ता 9 के पक्ष मे निर्णित किया गया। अतः नामा0 सं0 293 मूल नामान्तरकरण है केवल नामा0 सं0 417 से काना के पुत्र राजेन्द्र की वल्दियत दुरूस्त की गई है। मृतक खातेदार के दो पुत्र मोहनलाल, काना व चार पुत्री सोहनीबाई,सीताबाई,गीताबाई व ब्रदीबाई है। किन्तु सरपंच बिलेण्डी द्वारा नामा0 सं0 293 निर्णित करते समय वारिसान की सम्पूर्ण जांच नही कर केवल रेस्पो0 4 ता 9 के पक्ष मे नामा0 खोल दिया जबकि मृतक खातेदार धन्नालाल के वारिसान मे अपीलांट ब्रदीबाई जीवित पुत्री होने बावजूद भी वारिसान मे अपीलांट का नाम दर्ज नही कर कानूनी त्रुटि की है। मृतक धन्नालाल के वारिसान का जो सजरा दर्ज किया गया उसका पूर्ण रूप से अवलोकन नही किया तथा मनमाने तरीके से प्रविष्टिया दर्ज कर इन्तकाल तस्दीक कर दिया उक्त गलतियों को इन्तकाल सं0 417 से शुद्ध किया गया इसमे फिर भी अपीलांट का नाम दर्ज नही किया। बहस मे आगे प्रकट किया कि फोती नामा0 अपीलांट को सूचना दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना तस्दीक गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट वृद्ध महिला है तथा मृतक धन्नालाल की पुत्री है बचपन मे शादी हो गई मोहनलाल ने अपने पुत्र देवेन्द्र की शादी के समय बहन होने से कार्ड मे मेरा नाम लिखवाया है जिससे अपीलांट का धन्नालाल की पुत्री होना प्रमाणित होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही कर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1992 पेज 598, आरआरडी 2005 पेज 97,आरआरडी 2012 पेज 420, आरबीजे 2017 पेज 141 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम 4, 5, 9 श्री हेमेन्द्रसिंह आसावत ने बहस मे प्रकट किया कि अपीलांट ब्रदीबाई धन्नालाल की पुत्री नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रश्नगत अपील प्रकरण मे कोई दस्तावेज नही है। मृतक धन्नालाल की पुत्रियों का नाम नामा0 सं0 293 मे अंकित है जो गीता, सीता, सोहनी व पुत्र राजेन्द्र है। नामा0 सं0 293 रद्ध कर नामा0 स0 417 मे त्रुटि दुरूस्त की है। अतः नामा0 सं0 417 वर्तमान मे प्रभावशील है जिसको अपीलांट ने चेलेन्ज नही किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम 4 व 5 श्री रमेश राठौर की ओर से प्रकरण मे लिखित बहस पेश की गई जो संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि विवादित आराजी का नामा0 सं0 293 मृतक धन्नालाल के वारिसानका सजरा बनाकर ग्राम पंचायत बिलेण्डी ने कोरम मे सर्व सहमति से जांच कर उत्तराधिकारियो की सूचना पर ही सही तस्दीक किया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय मे तथ्य छुपाकर झूठी अपील पेश की गई है। ग्राम पंचायत को इंतका तस्दीक करने का अधिकार है। इन्तकाल सं0 417 दिनांक 18.7.2009 से तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा शुद्धीकरण का इंतकाल तस्दीक किया है जिसमे धन्नालाल के वारिसान का सजरा बनाया गया है। उक्त इंतकाल मे बद्रीबाई धन्नालाल की पुत्री होना कही भी अंकित नही किया है। अपीलार्थी को नामा0 सं0

293 की उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद के न्यायालय मे अपील पेश नही करके नामा0 सं0 417 की अपील अति0 जिला कलक्टर बांरा के न्यायालय मे करनी चाहिये थी जो अपीलार्थी ने जानबूझ कर नही की। आरआरडी 1958 पेज 89, आरआरडी 1996 पेज 457 के न्यायिक उद्धरण के परिपेक्ष्य मे क्षेत्राधिकार के अभाव मे अपील निरस्त की जा सकती है। धन्नालाल के दिनांक 20.6.98 को स्वर्गवास के बाद दिनांक 22.2.2007 को अधीनस्थ न्यायालय मे 18 वर्ष बाद पेश अपील को माननीय उच्च न्यायालय के डीएनजे 2015/1 पेज 105 के अनुसार प्रतिपादित न्याायिक उद्धरण के परिपेक्ष्य मे उचित नही ठहराया जा सकता। अपीलार्थी मृतक धन्नालाल की उत्तराधिकारी होने संबधित राशन कार्ड, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, जैसे तथ्य पेश करने मे असफल रही है इससे यह साबित होता है कि अपीलार्थी मृतक धन्नालाल की वारिस नही है बल्कि भूमि को हडपने की नियत से उक्त अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय मे पेश अपील श्रेत्राधिकार से बाहर होने से सुनने का श्रृवणाधिकार प्राप्त नही होने से अपील अपीलांट खारिज की है तथा जेरअपील आदेश की अपील का श्रृवणाधिकार क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को भी नही है अपीलार्थी द्वारा अपील झूठी एवं मनगढन्त तथ्यो के आधार पर पेश की है जो सारहीन होने से काबिज खारिज किये जाने योग्य है।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2072–75 अनुसार विवादित आराजी राजेन्द्र कुमार पुत्र शांतिबाई बेवा काना हि0 1/10 मोहनलाल पुत्र धन्नालाल सोहनीबाई, सीताबाई, गीताबाई पुत्रिया धन्नालाल हि0 2/5 हि.ब. हरिशचन्द पुत्र नारायण छोटी पुत्रिया केसर हि0 1/3 हि.ब.रामभरोस पुत्र हरिशचन्द हि0 1/6 कोम तेली सा0 देह दर्ज होना प्रकट होता है। धन्नालाल व कजोडी बेवा का फोती नामा0 सं0 293 ग्राम मालोनी दिनांक 20.6.1998 को मुताबिक सजरा वारिसान मोहनलाल, राजेन्द्रकुमार पुत्र व बेवा शांति पुत्रिया सोहनीबाई, सीताबाई, गीताबाई के नाम ग्राम पंचायत बिलेण्डी द्वारा तस्दीक किया गया। नामा0 सं0 293 मे वारिसान का सजरा गलत होने के कारण शुद्धिकरण तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा जरिये नामा0 सं0 417 खोला जाकर वारिसान को दुरूस्त किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि नामा0 सं0 293 मे वारिसान गलत दर्ज थे जिनको नामान्तरकरण सं0 417 से दुरूस्त किया गया है। ऐसी स्थिति मे विवादित आराजी के संबध मे तस्दीक नामा0 सं0 417 वर्तमान मे प्रभावशील है। चूंकि उक्त नामा0 सं0 417 तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है जिसकी अपील का श्रृवणाधिकार क्षेत्राधिकार राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे निहित प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर को प्रदत्त है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे नामा0 सं0 293 ग्राम मालोनी के विरूद्ध अपील पेश की गई जिसकी अपील का उक्त विवेचन अनुसार कोई औचित्य नही रह जाता क्योंकि नामा0 सं0 293 मे हुई त्रुटि को नामा0 सं0 417 से दुरूस्त किया गया है। ऐसी स्थिति मे नामा0 सं0 417 ग्राम मालोनी के संबध मे अपीलांट को अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे प्रदत्त शक्तियों के आलोक मे सक्षम न्यायालय मे करना था। अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण प्रश्नगत अपील प्रकरण मे चस्पा नही होते है। अपीलार्थी द्वारा नामा0 सं0 293 ग्राम मालोनी के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद मे प्रस्तुत प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवेचित तथ्यों के आलोक मे जेरअपील निर्णय दिनांक 19.12.2017 से सारहीन होने व चलने योग्य नही से खारिज की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांईश नही है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.12.2017 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन व चलने योग्य नही होने से खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 11.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

8